समेकित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005

(दिनांक 14.09.2023 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम का क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005	16 / छ.रा.वि.नि.आ. / 2005	14.07.2006
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021	90 / छ.रा.वि.नि.आ. / 2021	11.11.2021
शुद्धिपत्र – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक 02 / 11 / 2021	94 / सी.एस.ई.आर.सी. / 2021	11.01.2022
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023	105 / छ.रा.वि.नि.आ. / 2023	14.09.2023

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 16 / छ.रा.वि.नि.आ. / 2005, विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा (181)(2) की उपधारा (जेडके), सहपठित धारा 91 (2) एवं (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और छत्तीसगढ़ शासन की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005

अध्याय 1. प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005 कहलाएगा

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. विनियम का विस्तार :

ये विनियम आयोग के सचिव सहित, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

3. परिभाषाएँ :

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(ए) **''केन्द्रीय अधिनियम''** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2004 का क्रमांक 36)

(बी) **''आयोग''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,

(सी) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष,

(डी) **''सदस्य''** से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य,

(ई) **''नियुक्तिकर्ता''** से अभिप्रेत है इस विनियम के परिषिष्ठ–2 में दर्शायेनुसार नियुक्त करने वाला,

(एफ) **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

(जी) **''सचिव''** से अभिप्रेत है आयोग का सचिव,

(एच) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक),

(2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है और जो इनमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में है ।

अध्याय–2 पदों की संख्या एवं वर्गीकरण

4. अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण

(1) आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं वर्गीकरण परिषिष्ठ–1 में दर्शाये अनुसार होगा ।

(2) राज्य शासन से अनुमोदित होने की शर्त पर आयोग समय–समय पर परिषिष्ठ–1 में दर्शित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन, एवं उसे बढ़ा, घटा या समाप्त कर सकता है एवं पदों को पुनः वर्गीकृत कर सकता है ।

(3) आयोग, स्वयं द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों पर उसकी सहायता हेतु सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर भी कर सकता है ।

5. पदों का भरा जाना

आयोग के लिये कंडिका–4 (1) के अनुसार प्रत्येक संवर्गों के सभी पदों पर हर समय अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएँ लेने की बाध्यता नहीं होगी।

अध्याय 3 : नियोजन

6. अधिकारियों / कर्मचारियों का नियोजन

(1) एक अधिकारी / कर्मचारी को उसके श्रेणी के अनुसार उसकी योग्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए, वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य किसी पद पर भी नियोजित किया जा सकता है बशर्ते की वह पद रिक्त हो और उस पद पर सेवाओं की आवश्यकता हो।

(2) किसी अधिकारी / कर्मचारी को यदि एक या एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जावेगा ।

अध्याय 4 : नियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तें

7. नियुक्ति का तरीका

(1) आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित तरीके से होगी :–

(i) सीधी भर्ती से,

(ii) पदोन्नती से, और

(iii) केन्द्र / राज्य शासन / शासन के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर।

(2) अधिकारियों / कर्मचारियों की भर्ती परिषिष्ठ–1 (अ) और (ब) में दर्शाये गये तरीकों से किया जावेगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, अपील अधिकारी, एवं पुनर्विचार अधिकारी, परिषिष्ठ–2 में दर्शाये अनुसार होंगे।

(4) इस विनियम के बनाये जाने के पहले आयोग द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति यदि उस पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं और निर्धारित अधिकतम आयु से कम हैं तो वे भी सीधी भर्ती हेतु पात्र होंगे।

(5) विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव परिषिष्ठ–3 में दर्शाये अनुसार होगा, फिर भी आयोग यदि चाहे तो लिखित में कारण बताते हुए उपयुक्त प्रकरण में पद एवं व्यक्ति को देखते हुए नियुक्ति के लिए निर्धारित योगयता में छूट दे सकता है ।

(6) आयोग द्वारा समय–समय पर की गई प्रत्येक नियुक्ति, चरित्र एवं पूर्ण आचरण की जाँच के पश्चात् होगी जैसा की आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाय।

8. चयन समिति का गठन

(1) परिषिष्ठ–1 के खण्ड (अ) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी, :–

(i) अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष होंगे,

(ii) आयोग के सदस्य, और

(iii) आयोग द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ, और

(iv) आयोग के सचिव अथवा सचिव की अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम संचालक समिति के प्राधिकृत संयोजक होंगे

(2) परिषिष्ठ–2 के खण्ड (ब) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी :–

(i) संचालको एवं सचिव में से वरिष्ठितम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा,

(ii) सचिव / संचालक, और

(iii) सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक,

(v) अध्यक्ष द्वारा नामांकित उप सचिव अथवा कोई भी अन्य अधिकारी प्राधिकृत संयोजक होंगें।

(3)

(i) चयन समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी एवं छः माह के लिए, या उस अवधि हेतु जैसा कि आयोग द्वारा आदेशित हो, वैध होंगी।

(ii) उपयुक्त प्रकरणों में समिति किसी पद के लिए स्वीकृत वेतन से उच्चतर वेतन या उस पद के वेतनमान के उच्चतर स्तर की अनुशंसा आयोग को विचार हेतु कर सकती है ।

(4) आयोग, द्वारा चयन समिति के लिए कार्य पद्धति बनाई जा सकती है ।

9. आयु सीमा :

सहायक ग्रेड–III, कम्प्यूटर सहायक, स्टेनो–टायपिस्ट, ड्राइवर, भृत्य और समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा राज्य शासन में लागू नियमानुसार होगी । दूसरे पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा आयोग द्वारा पदों के लिये आवश्यक कार्य अनुभव को देखते हुए तय की जा सकती है ।

10. आवेदन :

सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित की जावेगी और रिक्त पदों पर योग्य उम्मीद्वारों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से एवं रोजगार कार्यालय के द्वारा उपयुक्त उम्मीद्वार के नाम प्राप्त कर की जा सकती है।

11. प्रमाण पत्र :

आयोग में किसी भी पद पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीद्वारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र,

(2) प्रथम नियुक्ति के मामल में उस शैक्षणिक संस्था जहाँ अंतिम बार अध्ययन किया गया हो अथवा उस शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम जहाँ पूर्व में सेवा की गई हो, से चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण पत्र,

(3) अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन–जातियाँ, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों को राज्य शासन के नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र, एवं

(4) राज्य शासन के नियमानुसार निवास प्रमाण पत्र।

12. आवेदन पत्रों की जाँच :

आयोग द्वारा आवेदन पत्र के जाँच के उपरान्त योग्य आवेदन से छटनी के उपरान्त उम्मीद्वारों का साक्षात्कार लिया जावेगा । रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उम्मीद्वारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा ।

13. उम्मीद्वारों का चयन :

चयन समिति उम्मीद्वारों की वरीयता के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी को सिफारिश करेगी ।

14. नियुक्तियाँ :

(1) चयन समिति द्वारा वरीयता के आधार पर सिफारिश की गई सूची के अनुरूप ही सभी नियुक्तियाँ की जावेंगी ।

(2) सभी चयनित उम्मीद्वारों को जो पहले शासकीय/शासकीय उपक्रम में कार्यरत न हो, को नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र और चरित्र प्रमाणीकरण कंडिका 7 (6) के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा ।

15. परिवीक्षा :

(1) सभी सीधी भर्ती परिवीक्षा के आधार पर दो वर्ष के लिए होगी ।

(2) परिवीक्षा की समयावधि में अधिकारी एवं कर्मियों को अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश व चिकित्सी अवकाश की पात्रता राज्य शासन के समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मियों को मिलने वाली सुविधा के अनुरूप रहेगी। लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति परिवीक्षा की समयावधि में शामिल नहीं होगी।

(3) यदि आयोग की दृष्टि में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण नही किया है तो आयोग परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए एक या एक से अधिक किस्तों में बढ़ा सकता है। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयोग ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को सेवा से हटा सकता है ।

(4) ऐसे कर्मचारी जो परिवीक्षा अवधि में हैं, की सेवा आयोग एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकता है ।

(5) यदि आयोग में शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो वह व्यक्ति आयोग की सेवा में स्थाई होने तक पूर्व नियोक्ता में अपना लीयन (lien) रख सकेगा।

16. रिक्तियों का आरक्षण :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक/अन्य श्रेणी के उम्मीद्वारों हेतु पदों के आरक्षण एवं आयु सीमा से संबंधित छूट राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार होंगे एवं इन विनियमों से प्रभावित नहीं होंगे ।

17. प्रशिक्षण :

(1) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों कों आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होना होगा ।

(2) प्रशिक्षण/उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि की सेवा के लिए आयोग से अनुबंध करना होगा जो की एक माह की प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष तक की अवधि से अधिक का नहीं होगा । यह अनुबंध अवधि, प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् अधिकतम दो वर्ष तक का होगा।

आयोग में अनुबंधित अवधि तक सेवा में न रहने पर अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय तथा इस अवधि के समस्त वेतन एवं भत्ते आयोग को लौटाना पड़ सकता है।

(3) प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह के दुराचरण/दुर्व्यवहार के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस बुलाने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार आयोग के पास होगा । आयोग ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय की वापसी हेतु निर्णय ले सकता है।

18. पदोन्नति :

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं पदोन्नति का क्रम परिशिष्ठ–4 में दर्शाये अनुसार होगा ।

सभी पदोन्नतियाँ पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों में प्रतिबिम्बित कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होगी । पदोन्नति हेतु उम्मीद्वारों की चयन सूची उसी चयन समिति के द्वारा तैयार की जावेगी जिसका गठन इस विनियम की कंडिका 8 में सीधी भर्ती हेतु किया गया है ।

19. सेवानिवृत्ति :

समस्त अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य शासन के नियमों के अनुसार आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

20. आयोग अपनी आवश्यकतानुसार समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर संविदा अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है । दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जाते हैं तो आयोग उन्हें संविदा पर भी नियुक्त कर सकता है ।

21. किसी अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आयोग निर्धारित करेगा जो की सामान्यतः राज्य शासन के निर्धारित सेवा शर्तों के अनुरूप होगा ।

अध्याय 5 : पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

22. वेतनमान :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतनमान परिशिष्ठ–1 में दर्शाये अनुसार होगा। भृत्य, वाहन चालक एवं इसी श्रेणी के अन्य कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें कलेक्टर रायपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा।

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।

(3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का पुर्ननिर्धारण राज्य शासन में उसी वेतनवर्ग/वेतनमान के पुर्ननिर्धारण अनुसार होगा ।

(4) आयोग में नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता आदि प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(5) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्याज सहित/ब्याज मुक्त ऐसे अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता होगी जेसा कि आयोग द्वारा निर्धारित हों।

(6) केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों/शासन की स्वायत्त संस्थाओं से प्रति नियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति नियुक्ति भत्तों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जावेगा ।

23. सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिक लाभ :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकीय लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र शासन/अन्य राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों से आयोग में संविलियन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त उप कंडिका–1 में उल्लेखित प्रावधानुसार सेवानिवृत्ति पर प्रदान किये जाने वाले लाभ की गणना, उनके पूर्व सेवा काल हेतु पूर्व नियोक्ता की सहमति से निर्धारित अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों को ध्यान में रखकर दिया जावेगा ।

अध्याय 6 : विविध

24. संविदा सेवा

[1]{आयोग की सेवायें हेतु आवश्यकता पड़ने पर, लिखित में कारण दर्ज कर किसी भी रिक्त पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। संविदा नियुक्ति प्रथम बार, तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जायेगी, तथापि, आयोग, आवश्यकता के आधार पर तथा संबिदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात्, संबिदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए, संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति हेतु शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 (समय–समय पर यथा संषोधित) के अनुरूप होगीं।}[1]

25. शिथलीकरण के अधिकार :

आयोग जनहित में एवं आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए इन विनियमों में शिथलीकरण कर सकता है। इसमें आयोग के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित आर्हता का शिथलीकरण भी शामिल होगा।

26. निर्वचन :

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा और यह निर्णय अंतिम होगा। विनियमों को लागू करने में किसी तरह की कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार आयोग को होगा ।

27. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 का लागू होना

(1) आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन विनियमों के अध्यधीन, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 और यथासमय–समय पर जारी संशोधित प्रावधान लागू होंगे ।

(2) राज्य शासन द्वारा बनाये गये अन्य प्रासंगिक नियम भी आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के अतिरिक्त हों।

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के रूपवानी)
सचिव

1. विनियम क्रमांक 90/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2021 द्वारा दिनांक 02.11.2021 से प्रतिस्थापित

2{ परिशिष्ट–1
(मूल विनियम के नियम 7 (2) देखियें)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या

खण्ड–"अ"

अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति का तरीका
1.	सचिव	1	तदैव	लेवल–17 `1,41,800–`2,14,700	प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल–17 `1,41,800–`2,14,700	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–17 `1,41,800–`2,14,700	तदैव
4.	निदेशक (विधि)	1	तदैव	लेवल–17 `1,41,800–`2,14,700	तदैव
5.	आर्थिक सलाहकार	1	तदैव	लेवल–15 `1,18,500–`2,14,100	तदैव
6.	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल–14 `79,900–`2,11,700	तदैव
7.	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–14 `79,900–`2,11,700	तदैव
8.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	तदैव	लेवल–14 `79,900–`2,11,700	तदैव
9.	आर्थिक विश्लेषक	1	तदैव	लेवल–14 `79,900–`2,11,700	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10.	उप सचिव	1	तदैव	लेवल–14 `79,900–`2,11,700	प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल–13 `67,300–`2,13,100	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
12.	उप निदेशक (रेग्युलेटरी अफेयर्स)	1	तदैव	लेवल–13 `67,300–`2,13,100	प्रतिनियुक्ति द्वारा
13.	उप निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–13 `67,300–`2,13,100	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
14.	विधि अधिकारी	1	तदैव	लेवल–13 `67,300–`2,13,100	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
15.	उप निदेशक (उपभोक्ता समर्थन प्रकोष्ठ)	1	तदैव	लेवल–13 `67,300–`2,13,100	प्रतिनियुक्ति द्वारा
16.	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	वर्ग–2	लेवल–12 `56,100–`1,77,500	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
17.	सहायक निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–12 `56,100–`1,77,500	तदैव
18.	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	तदैव	लेवल–12 `56,100–`1,77,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा

19.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	तदैव	लेवल–12 `56,100–`1,77,500	तदैव
20.	लेखा अधिकारी	1	तदैव	लेवल–12 `56,100–`1,77,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
21.	अनुभाग अधिकारी	1	तदैव	लेवल–11 `49,100–`1,55,800	तदैव
22	निज सचिव	2	तदैव	लेवल–11 `49,100–`1,55,800	तदैव

नोटः– आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।

खण्ड–"ब"

(मूल विनियम के नियम 7 (2) देखियें)

कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तित का तरीका
1.	निज सहायक	04	तृतीय	लेवल–9 `38100–`1,20,400	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	तदैव	लेवल–9 `38100–`1,20,400	तदैव
3.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तदैव	लेवल–9 `38100–`1,20,400	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
4.	कार्यालय सहायक ग्रेड–1	01	तदैव	लेवल–9 `38100–`1,20,400	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
5.	स्टेनोग्राफर	05	तदैव	लेवल–7 `28,700–`91,300	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
6.	कम्प्यूटर सहायक	03	तदैव	लेवल–6 `25,300–`80,500	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
7.	कार्यालय सहायक ग्रेड–2	04	तदैव	लेवल–6 `25,300–`80,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
8.	स्टेनोटायपिस्ट	04	तदैव	लेवल–4 `19,500–`62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
9.	कार्यालय सहायक ग्रेड–3	05	तदैव	लेवल–4 `19,500–`62,000	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10.	वाहन चालक	04	तदैव	लेवल–4 `19,500–`62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	भृत्य	11	चतुर्थ	लेवल–1 `15,600–`49,400	तदैव
12.	माली	01	तदैव	लेवल–1 `15,600–`49,400	तदैव

नोटः– आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।

परिशिष्ट–2

(मूल विनियम के नियम 7 (3) देखियें)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी

विवरण	परिशिष्ट–1 के खण्ड 'अ' में सम्मिलित अधिकारियों के लिए	परिशिष्ट–1 के खण्ड 'ब' में सम्मिलित कर्मचारियों के लिए
(i) नियुक्ति प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी,	अध्यक्ष	सचिव
(iii) अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(iv) समीक्षा प्राधिकारी	आयोग	आयोग

परिशिष्ट–3

(मूल विनियम के नियम 7 (5) देखियें')

खण्ड–''क''

सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र.	पदनाम	आवश्यक योग्यता एवं न्यूनतम अनुभव	अतिरिक्त योग्यता/ वांछनीय अनुभव
01	आर्थिक विश्लेषक	(क) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई/सी.एम.ए या एम.बी.ए (फाइनेन्स) (ख) व्यवसायिक योग्यता की पूर्णता उपरांत कम से कम 12 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (ग) विश्लेक्षणात्मक एवं मॉडलिंग स्किल में दक्षता तथा फायनेन्सियल स्टेटमेंट विश्लेषण में दक्षता (घ) कम्प्यूटर में एम.एस. एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता।	(क) मूल्य/ टैरिफ निर्धारण का ज्ञान (ख) ऊर्जा क्षेत्र के वाणिज्यिक संबंधित विषयों के विश्लेषण तथा समस्याओं के समाधान का अनुभव।
02	विधि अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ख) विधि क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का लीगल प्रेक्टिस का अनुभव अथवा राज्य शासन/केन्द्र शासन/शासकीय उपक्रम या नियामक संस्था/अधिकरण में नियमित विधि अधिकारी/विधि सलाहकार के पद पर 7 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ विधि विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री। (ख) आदेष/विनियम बनाने का पर्याप्त ज्ञान। (ग) विद्युत क्षेत्र से संबंधित विधियों का पर्याप्त ज्ञान।
03	उप निदेशक (उपभोक्ता समर्थन प्रकोष्ठ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। (ख) उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण कां कम से कम 7वर्ष का अनुभव, विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण के अनुभव को प्राथमिकता।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से अभियांत्रिकी या विधि से स्नातक उपाधि। (ख) अंग्रेजी एवं हिन्दी में दक्षता। (ग) विद्युत अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सामान्य ज्ञान।
04	उप निदेशक (टैरिफ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 7 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,

05	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 7 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
06	सहायक निदेशक (टैरिफ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
07	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
08	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में स्नातक डिग्री। (ख) केन्द्र/राज्य शासन के वित्त विभाग अथवा केन्द्र/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम अथवा किसी भी पॉवर यूटिलिटी में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। (घ) कम्प्यूटर में एम.एस. एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) कोषालय संचालन, ऑडिट, बजट, बैंकिग कार्य का अनुभव (ग) पे–रोल एकाऊटिंग एवं बहीखाता के संधारण का अनुभव। (घ) टैली (**tally**) पर कार्य करने का अनुभव

09	कम्प्यूटर सहायक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री एवं मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए। **अथवा** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी.सी.ए. या कम्प्यूटर साईन्स अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री	(क) बड़े संस्थान में लोकल एरिया नेटवर्क के संचालन एवं संधारण का अनुभव (ख) अंग्रजी भाषा में दक्षता
10	सहायक ग्रेड–3	(क) राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से 12वीं उत्तीर्ण (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /सर्टिफिकेट (ग) कम्प्यूटर में टायपिंग का 5000 की डिप्रेषन प्रतिघंटा की गति।	लेखन एवं बोलचाल में दक्षता।
11	स्टेनो टायपिस्ट	(क) राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से 12वीं उत्तीर्ण (ख) मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिये। (ग) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री की 5,000 की डिप्रेषन प्रति घंटा की गति।	द्वि–भाषीय शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन में दक्षता धारित व्यक्ति को प्राथमिकता।
12	वाहन चालक	(क) राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम आठवीं पास। (ख) लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (ग) वैध लाइट मोटर व्हीकल लाईसेन्स धारक।	राज्य शासन/अर्धशासकीय विभागों के स्टाफ कार चलाने का अनुभव
13	भृत्य	राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम आठवीं पास	राज्य शासन/अर्धशासकीय संस्थानों में संविदा/दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत कार्यरत् भृत्य को प्राथमिकता
14	माली	राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम आठवीं पास	राज्य शासन/अर्धशासकीय संस्थानों में संविदा/दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत कार्यरत् माली को प्राथमिकता

परिशिष्ट–4

(मूल विनियम के नियम 18 देखियें)

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	निदेशक (इंजीनियरिंग)	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	8 वर्ष
2	निदेशक (टैरिफ)	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	8 वर्ष
3	निदेशक (विधि)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	8 वर्ष
4	आर्थिक सलाहकार	आर्थिक विश्लेषक	5 वर्ष
5	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
6	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	उप निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
7	वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि अधिकारी	5 वर्ष
8	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
9	उप निदेशक (टैरिफ)	सहायक निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
10	लेखा अधिकारी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5 वर्ष
11	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
12	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
13	निज सचिव	निज सहायक	5 वर्ष
14	निज सहायक	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष
15	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	कम्प्यूटर सहायक	5 वर्ष
16	अनुभाग अधिकारी	कार्यालय सहायक श्रेणी–1	5 वर्ष
17	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	सहायक ग्रेड–2 (वह जिसने शासकीय लेखा प्रशिक्षण विद्यालय से लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो)	5 वर्ष
18	कार्यालय सहायक श्रेणी–1	कार्यालय सहायक श्रेणी–2	5 वर्ष
19	स्टेनोग्राफर	स्टेनोटायपिस्ट	5 वर्ष
20	कार्यालय सहायक श्रेणी–2	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	5 वर्ष
21	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जो कार्यालय सहायक श्रेणी–3 के पद हेतु राज्य शासन के नियमानुसार निर्धारित आर्हरता रखते हों)	5 वर्ष

नोटः उपरोक्त स्वीकृत पद संरचना में पदों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो पदोन्नति से वंचित है उन्हें उच्च वेतनमान अगले उच्च पद के लिए देय वेतनमान होगा, जिस पर ऐसा कर्मचारी या अधिकारी अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है। उच्च वेतनमान की पात्रता के संबंध में विस्तृत आदेश आयोग द्वारा समय समय पर जारी किया जावेगा।}2

2. विनियम क्रमांक 105 / सी.एस.ई.आर.सी / 2023 द्वारा दिनांक 14.09.2023 से प्रतिस्थापित।